संचालनालय
मछली पालन विभाग, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती भवन, चतुर्थ तल (बी–ब्लाक), नया रायपुर
Phone-0771-2443124, Fax-0771-2443067

क्रमांक / 108 / म. / स्था. / 2023–24 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24.01.2024

प्रति,

आयुक्त,
जनसंपर्क संचालनालय
नया रायपुर (छ0ग0)

विषय :– प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कराने बाबत् ।

---::0::---

विषयान्तर्गत संचालनालय मछली पालन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छ0ग0 में रिक्त मत्स्य निरीक्षक के 70 पदों की भर्ती व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) नवा रायपुर, से किया जाना है। मत्स्य निरीक्षक पद की संक्षिप्त विज्ञापन (संलग्न) कृपया राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त बहु–प्रसारित दो समाचार पत्र में एक बार प्रकाशित करने का कष्ट करें ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

संचालक मछली पालन
छत्तीसगढ़

पृ0 क्रमांक / 109 / म. / स्था. / 2023–24 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24.01.2024

प्रतिलिपि –

(1) छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर की सूचनार्थ।
(2) सहायक सांख्यिकी अधिकारी की ओर विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
(3) कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

संचालक मछली पालन
छत्तीसगढ़

F:\Fisheries 23\Sori Sir\General Letter.doc

संचालनालय मछली पालन छत्तीसगढ़

इंद्रावती भवन, चतुर्थ तल, बी ब्लाक, नवा रायपुर,
अटल नगर, छ0ग0

संक्षिप्त विज्ञापन

क्रमांक– 108 /सं.म./स्था./भर्ती/2023–24 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक 24.01.2024

छत्तीसगढ़ शासन, मछली पालन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ–6–5/36/तकनीकी/2023/30 दिनांक 24.01.2024 द्वारा मछली पालन विभाग के अधीन मत्स्य निरीक्षक (कार्यापालिक) के रिक्त पदों पर सीधी भरती के माध्यम से पदपूर्ति करने की प्राप्त सहमति उपरान्त ऑनलाईन आवेदन छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर की वेबसाईट **vyapam.cgstate.gov.in** पर आमंत्रित किये जाते है–

स. क.	पद का नाम तथा वेतनमान एवं ग्रेड वेतन	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छ0ग0 की स्थानीय महिलाओं के लिए आरक्षित पद				वर्गवार कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद	योग
		अना–रक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अना–रक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2	मत्स्य निरीक्षक वेतनमान रू. 28700/– **(लेवल–07)**	29	08	23	10	08	02	06	03	05 (बैकलॉग–1) अस्थि बाधित–01, श्रवण बाधित–01, दृष्टि बाधित–03	07	70

टीप :–

1. विज्ञापित किये गये की पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है। विस्तृत विज्ञापन पाठ्यक्रम, परीक्षा कार्यक्रम, ऑनलाईन आवेदन एवं शुल्क भुगतान की विधि तथा अन्य विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर की वेबसाईट **vyapam.cgstate.gov.in** देखा जा सकता है।

2. उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन उपरान्त नियुक्ति मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस0एल0पी0(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन होगी।

3. परीक्षा की तिथि व्यापम द्वारा पृथक से जारी की जायेगी।

4. ऑनलाईन आवेदन पत्र व्यापम की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगे।

संचालक मछली पालन
छत्तीसगढ़

संचालनालय मछली पालन छत्तीसगढ़

इंद्रावती भवन, चतुर्थ तल, बी ब्लाक, नवा रायपुर, अटल नगर, छ0ग0

विज्ञापन

क्रमांक– 108 / सं.म. / स्था. / भर्ती / 2023–24 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक 24.01.2024

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 13–1 / 2023 / आ.प्र. / 1–3 दिनांक 03.05.2023 में आरक्षण संबंधी निहित निर्देश एवं छत्तीसगढ़ शासन, मछली पालन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ–6–5 / 36 / तकनीकी / 2023 / 30 दिनांक 24.01.2024 द्वारा मछली पालन विभाग के अधीन मत्स्य निरीक्षक (कार्यपालिक) के रिक्त पदों पर सीधी भरती के माध्यम से पदपूर्ति करने की प्राप्त सहमति के संदर्भ में निम्न तालिका अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों की प्रवर्गवार संख्या का विवरण निम्न तालिकानुसार है–

स. क्र.	पद का नाम तथा वेतनमान एवं ग्रेड वेतन	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छ0ग0 की स्थानीय महिलाओं के लिए आरक्षित पद				वर्गवार कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद	योग
		अना–रक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अना–रक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	मत्स्य निरीक्षक वेतनमान रू. 28700 / – (लेवल–07)	29	08	23	10	08	02	06	03	05 (बैकलॉग–1)	07	70

शैक्षणिक योग्यता :–

मत्स्य निरीक्षक पद हेतु– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एफ.एससी.,

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातक और केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा शासित किसी संस्थान से अन्तर्देशीय मत्स्योद्योग पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त।

नियम एवं शर्ते –

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। जिसकी पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण–पत्र की स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

   आयु सीमा –

   मत्स्य निरीक्षक पद के लिए अभ्यर्थी, ने दिनांक 01.01.2024 को 20 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो एवं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष पूर्ण ना की हो।

   तथापि सामान्य प्रशासन विभाग छ0ग0 शासन, मंत्रालय नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2 / 2015 / 1–3 अटल नगर, जिला रायपुर दिनॉक 30 / 01 / 2019 के द्वारा अधिकतम आयु सीमा में एक बार के लिए 5 वर्ष की दी गई छूट परिपत्र में निहित निर्देशानुसार लागू होगी।

आयु सत्यापन हेतु पॉचवी, **अथवा** आठवीं **अथवा** दसवीं की अंक सूची/प्रमाण-पत्र की स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, छ0ग0 शासन के कार्यरत अथवा पूर्व में कार्यरत रह चुके कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता /नैमेत्तिक सेवानिधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी, छटनी किये गए शासकीय सेवक, भूतपूर्व सैनिक, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत अभ्यर्थी, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान, तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार धारक अभ्यर्थी, एवं उत्कृट खिलाड़ी घोषित अभ्यर्थी, राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी, स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिकों के नानकमीशन्ड अधिकारी, महिलाएँ, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएँ, निशक्तजन, को शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित नियमों/निर्देशों के तहत् निर्धारित आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जा सकेगी। छूट प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को तत्संबंधी प्रमाणपत्र की स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। **सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी ने अधिकतम आयु 45 वर्ष पूर्ण ना की हो।**

2. आवेदक को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण का लाभ लेने के लिए अपने आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वयं अथवा राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र संलग्न ना होने की स्थिति में किन्तु अन्य पात्रता पूर्ण होने पर अनारक्षित प्रवर्ग में विचार किया जावेगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर कीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर कीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है अतः अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर कीमीलेयर के अंतर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने के तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।

3. शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं में सेवारत अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र अपने नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा। **यदि आवेदक ने अपने नियोक्ता को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया हो, तथा आवेदन प्रस्तुत करना प्रमाणित करता हो तो आवेदन पत्र विचारणीय होगा,** तथापि चयन एवं नियुक्ति की प्रकिया की किसी भी अवस्था में अथवा पश्चात्, नियोक्ता से आपत्ति प्राप्त होने पर चयन/नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

4. आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया गया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

5. अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकायें। फोटो को स्वयं द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य है। साथ ही आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट स्थान में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं, अन्यथा की स्थिति में आवेदन निरस्त किये जावेंगें।

6. नियुक्ति हेतु सिफारिश कराने वाले एवं किसी भी प्रकार का दबाव डालने वाले आवेदक को नियुक्ति के लिए अपात्र कर दिया जावेगा ।

7. संचालक मछली पालन छ0ग0 रायपुर द्वारा, बिना पूर्व सूचना के अधिसूचित रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकेंगी, या विज्ञापन निरस्त भी किया जा सकेगा।

8. शासन द्वारा नियमों / भर्ती नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो वह इस विज्ञप्ति में लागू होंगी।

9. **चयन प्रकिया –**

निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त आवेदनों की छानबीन पश्चात् पात्र पाये गये अभ्यर्थियों का चयन निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रिया से होगा:–

व्यवसायिक परीक्षा मंडल, (व्यापम), रायपुर, छ0ग0 द्वारा चयन परीक्षा ली जावेगी। व्यापम की परीक्षा में प्राप्तांक के वरियता (मेरिट) के आधार पर सीधी नियुक्ति दी जावेगी अर्थात अधिकतम प्राप्तांक ही सीधी भर्ती का माध्यम होगा पृथक से साक्षात्कार नही लिया जावेगा। व्यापम से प्राप्त चयन सूची के अनुसार अभ्यार्थियों का विहित योग्यता संबंधी दस्तावेज का सत्यापन पश्चात् पात्र अभ्यार्थियों का नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।

10. अभ्यर्थियों के द्वारा समान अंक अर्जित करने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर आपसी वरीयता तय की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसे वरीयता दी जावेगी।

11. अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी यदि चयन प्रकिया के दौरान अथवा उपरान्त असत्य होना पाया जाता है तो की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी, एवं संबंधित के विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

12. शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित पात्रता पूर्ण करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा, चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अपात्रता पाये जाने पर चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

13. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 13–1/2023/आ.प्र./1–3 दिनांक 03.05.2023 अनुसार की जाने वाली नियुक्तियॉ माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP(C) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

14. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए होगी। कार्य संतोषजनक होने पर नियमित नियुक्ति का आदेश पृथक से जारी किया जावेगा।

15. छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 1–2/2022/एक/6 दिनांक 12.08.2022 में जारी स्थानांतरण नीति 2022 के विशेष टीप के तहत परिवीक्षाधीन नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण नही किया जावेगा तथा शासन से समय–समय पर जारी निर्देश के तहत होगी।

16. प्रतीक्षा सूची, जारी होने के दिनॉक से 01 वर्ष के लिए मान्य होगी।

17. अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में तथा भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संचालक मछली पालन, छ0ग0 रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

18. **आवेदक को चाहिये कि विज्ञप्ति का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर आवेदन पत्र में सही–सही, स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी भरे। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेगें** एवं इस संबंध में आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी

जावेगी, आवेदन के निरस्त होने के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। **एक अभ्यर्थी का एक पद हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसके उस पद हेतु सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जावेंगें।**

19. **आवेदन पत्र भेजने के संबंध में दिशा निर्देश–**

मत्स्य निरीक्षक पद हेतु विज्ञापन तथा अन्य दिशा निर्देश व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा जारी किये जायेंगे।

संचालक मछली पालन
छत्तीसगढ़